न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 25/2020

सरकार बनाम मनोहरलाल पुत्र नोरंगलाल,
जाति–ब्राम्हण, निवासी– पिचानवा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.08.20205

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मनोहरलाल पुत्र नोरंगलाल, जाति–ब्राम्हण, निवासी–पिचानवा द्वारा रोही मौजा पिचानवा की राजकीय भूमि ख.नं. 198 के कुल रकबा 2.69 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर नींव खोदकर व पत्थर डालकर अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से दिनांक 09.07.2020 को एडवोकेट भारत भूषण शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि गैर सायल को ख.नं. 198 में नोटिस दिया गया है जो खसरा नम्बर प्रार्थी के ख.नं. 140/46 से बना है, जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि थी। सबूत सहित जवाब पेश करने हेतु 15 दिवस का समय चाहा। गैर सायल के प्रार्थना पत्र पर बार बार जवाब पेश करने हेतु समुचित समय दिया जाने पर भी गैर सायल की ओर से जवाब पेश नही किया गया। गैर सायल ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में आदिनांक तक कोई साक्ष्य/सबूत एवं जवाब पेश नही किया गया। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पिचानवा की भूमि ख. नं. 198 की किस्म गै.मु. जोहड़ दर्ज है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में डाले गये पत्थरों को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली, जब्ती एवं निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं.......20.........पर
वर्ष.2020-21..में रुपये....8/.....कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़